



फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

तारासिंह बनाम गुरमेलसिंह वगैरा
अपील इंतकाल प्रकरण सं. 55/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
29.06.17	अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील में धारा 96 सीपी0सी0 के प्रार्थना पत्र पर सुना गया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य एवं परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अपील में मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड एवं रेस्पोंडेन्ट्स को तलव किया जावे। पत्रावली दिनांक 13-7-17 को पेश हो।	7
13.7.17	अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पों. को जॉडिस जारी कर तलव करें। रेकॉर्ड तलव कर, पत्रावली दिनांक 27.07.17 को पेश हो।	8 N-2 with 1859/13.7.17
27.07.17	वार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी प्रशा. कार्य से व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 16.08.17 को पेश हो।	रेफो के समुदाय का पत्रावली
28/08/17	कर्मचारीयों की हडताल समाप्त होने पर पत्रावली आज पेशी में ली गई। रेस्पोंडेन्ट सव्ण। से 06 की लगभग स्वयं शरा हो चुकी है एवं रेस्पोंडेन्ट सव्ण 07 की लगभग उलकी पाले राजकिशोर द्वारा स्वयं शरा है। रेस्पोंडेन्ट सव्ण 07 का उपस्थित नहीं है। सम्मग तलवने शामिल मिल डिमे गये। पत्रावली वास्ते एनाड दिनांक 22-09-2017 को पेश हो।	

22.09.17

पीठासीन अधिकारी अस्सल भ्रमण पर न्यायालय में बाहर कार्य में व्यस्त हैं। पक्ष कारण के अभिभाषक उपस्थित हैं। पत्रावली दिनांक 16.10.17 को पेश हो।

रेस्पों. सं. 06 की ओर से श्री विष्णु खिन्नी के पत्रावली पेश की - शा. मिसल

16.10.17

अभिभाषक समय पक्ष उपस्थित। रेकॉर्ड अप्रप्त, कुल: तलव करें। पत्रावली दिनांक 09.11.17 को पेश हो। फुल शय्यु! - तारीख पेशी पक्ष के द्वारा रेकॉर्ड प्राप्त हुआ, शा. मिसल किया गया। पत्रावली वरसे वरस दिनांक 09.11.17 को पेश हो।

कार्यालय टिप्पणी

15/12

अपीलेंट अधिकारता इफ्। अपीलेंट के अधिकारता के स्वयं उपस्थित होकर निकेतु कि कम्पनी अपील को जाने नहीं यल्ला पाइले ई बलमिठ फोड अग्रमत की भावना है प्रकण को श्रीस्टेज पर दा खिलपुतर क्खाना जाह्ला ई साप ही अपीलेंट अधिकारता ने नौपैत वर प्रकरण में आगे प्पारिपाही नहीं करे व निकेतु डिजा अत. अपीलेंट अधिकारता द्वारा नौपैत करे के कारण, हागत प्रकण खारिज किया जाता है आदेशिका की प्रति एवेरिन्सि कंबंधित तथालकार को भेजी जाई पत्राकरी फोन ल- सुमार की जाकर बाद तकनीय दा खिलपुतर ही

आदेश सुनाया गया

15.12.20
 अतिरिक्त क्लर्क (प्रशासकी)
 श्रीगंगानगर

110/208
 15/12
 श्रीगंगानगर
 अतिरिक्त क्लर्क
 प्रशासकी